

विचार बिन्दु

दुरात्मा के लिए देश भक्ति अंतिम शरण है। —जॉन्सन

चमक खोती गांधी विचार की संस्थाएं और उन पर कहर

वाराणसी में छह दशकों से महात्मा गांधी के विचारों के प्रचार का काम कर रही बापु, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण के अनुयाइयों की संस्था ‘सर्व सेवा संघ’ के परिसर को रेलवे की ज़मीन पर अवैध कब्जा मानते हुए जिस प्रकार पुलिस के बल की मदद से बेदखल किया गया है तथा वहां के पुस्तकालय तथा कार्यालय से पुस्तकों तथा ऐतिहासिक दस्तावेजों को उठा कर बाहर फेंका गया है उससे बहुत से लोग सदमे में हैं। लोगों को लगता है कि महात्मा गांधी की वैचारिक विरासत को मिटा देने के व्यवस्थित प्रयासों का यह एक हिस्सा है। ‘सर्व सेवा संघ’ का परिसर वाराणसी में ओल्ड जटी रोड और वरुणा नदी के बीच स्थित है। इसी परिसर के एक हिस्से में गांधी विद्या संस्थान है। जब से काशी रेलवे स्टेशन को मल्टीमॉडल स्टेशन और खिड़कियां घाट को ‘नमो घाट’ में तब्दील किया गया है तभी से इस संस्था के पूरे परिसर पर प्रशासन की नजर बताई जाती है। दिसंबर 2०2० में प्रशासन ने परिसर के एक हिस्से पर जबरन अधिकार जमा कर उस जगह को काशी कॉरिडोर के वर्कअप के लिए ठेकेदार को आवंटित कर दी थी। वाराणसी के कमिश्नर द्वारा संस्थान ने एक भवन को अपनी मर्जी से राष्ट्रीय इंदिरा गांधी कला केंद्र के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए उपलब्ध कराने के प्रयास की बात भी सामने आई है। भूदान के प्रणेता विनोबा भावे की कल्पना के आधार पर 196० में ‘सर्व सेवा संघ’ परिसर की स्थापना वाराणसी में हुई थी। इस परिसर के लिए 1९6०, 1९६1 और 1९7० में भूमि रेलवे से खरीदी गयी थी जिसका क्रय मूल्य ट्रेजरी के माध्यम से जमा हुआ। तीनों रजिस्ट्री करने वाले रेलवे अधिकारी तत्कालीन डिविजनल रेलवे इंजीनियर थे और रेलवे के उस समय के प्रावधानों के अनुसार क्रियय की कार्यवाही के लिए सक्षम प्राधिकारी थे। रजिस्ट्री के समय रजिस्ट्रार ने विक्रय करने वाले अधिकारियों की वैधानिकता को पूरी तरह जांच करने के बाद सेल डीड जारी की थी। राजस्व प्रभावों को ध्यान में भी 1९६० और 1९६1 की रजिस्ट्ररियों के आधार पर ‘सर्व सेवा संघ’ का उल्लेख चला आ रहा है। यह गांधीवादी संस्था अपनी भूमि का उपयोग और उपभोग भी लगातार करता रहा है। केवल एक रजिस्ट्री जो 1९7० में हुई है का अमलदरमज तकनीकी कमियों से नहीं हो सका, जिसकी पत्रावली अब तक लंबित है। देखने वाली बात यह है कि इस भूमि को लेकर रेलवे का सर्व सेवा संघ के साथ कभी कोई विवाद भी नहीं रहा। परिसर में गांधी चित्र प्रदर्शनी, बालवाडी, सभागार, विनोबा कुटी, सर्व सेवा संघ प्रकाशन कार्यालय आदि संचालित हो रहे थे। इसके अलावा परिसर में 2० से अधिक कर्मचारियों के परिवार कई वर्षों से रह रहे थे। प्रशासन के साथ किसी समस्त प्रतिविधियों को बंद करा कर सभी को उसके परिसर से बाहर ही नहीं निकाल दिया बल्कि पुस्तकालय की किताबों को भी बाहर फेंक दिया। वाराणसी के सौंदर्यीकरण के नाम पर यह बलि ली जा रही है। सर्व सेवा संघ का परिसर सघन वृक्षों से आच्छादित है और अनेक वृक्ष तो सौ वर्ष से भी अधिक के हैं जिनको धरोहर की श्रेणी में माना जाता है। इनमें इमारती, फलदार, शोभाकार और औषधीय वृक्ष शामिल हैं। यह क्षेत्र वरुणा और गंगा नदियों की दो सौ मीटर की परिधि के क्षेत्र में आता है जिस पर किसी नये निर्माण की योजना बनाने से पहले राष्ट्रीय हरित आयोग की अनापत्ति लेनी आवश्यक होती है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने काशी स्टेशन के प्रस्तावित विकास की परियोजना के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों का सामाजिक अंकेंक्षण, जन सुनवाई, राष्ट्रीय हरित आयोग की अनापत्ति जैसे प्रक्रिया को सार्वजनिक किये जाने की मांग की थी किन्तु उसे भी नजरअंदाज कर दिया गया। सर्व सेवा संघ की तरफ से सभी सक्षम अधिकारियों को बार-बार कहा गया कि परिसर के स्वाभित्व की बाबत लम्बित मुकदमे की सुनवाई तक कोई कार्यवाही न की जाय मगर दिनांक 22 जुलाई को पौ फटने से भी पहले भारी पुलिस बल वहां पहुंचा और बिना किसी आदेश या नोटिस के आनन-फानन में बेदखली की इकतएफा कार्यवाही को अंजाम दे दिया। राष्ट्रपति के भेजे गए एक

गांधी विचार से जुड़ी संस्थाओं के लिए भी यह आत्मावलोकन का समय है। क्यों उनकी हैसियत इतनी गिर गई है कि प्रशासन उनके खिलाफ इस हद तक चला जाता है और देश के आम आदमी में कोई बेचैनी, कोई सुरसुराहट नहीं होती। मुख्यधारा के मीडिया के लिए भी यह कोई मुद्दा नहीं होता।

1९7० की इस भूमि की खरीद फरोख्त को अमान्य करार दे दिया। यह तर्क दिया गया कि रेलवे द्वारा सर्व सेवा संघ को भूमि का बेचान होना तथा उसकी रजिस्ट्ररियां कूट रचना थी। कहा गया कि जिस वरिष्ठ रेल अधिकारी के हस्ताक्षरों से रेलवे की भूमि सर्व सेवा संघ को मिली वह ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं था। जिलाधिकारी ने प्रभावित पक्ष का यह तर्क अनसुना कर दिया कि समस्त साक्ष्य और दस्तावेज बताते हैं कि तत्कालीन व्यवस्थाओं में वही अधिकारी प्राधिकृत था तथा आज के नये प्रावधानों की रोशनी में उसे नहीं देखा जा सकता। इस प्रकरण पर रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वाई. पी. आनंदे का भी सार्वजनिक ध्यान आया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि ‘सर्व सेवा संघ’ को रेलवे द्वारा आवंटित जमीन के विक्रय-पत्र पर नॉर्दन रेलवे के डिविजनल इंजीयर के वैध हस्ताक्षर है और वह जमीन नियमानुसार बेची गई थी। उनके मुताबिक, “आजादी के बाद तब तक रेलवे के जमीनों को बेचने के लिए नीलाम करने की कोई नीति नहीं बनी थी। उस समय बनारस के रेलवे के सबसे वरिष्ठ अधिकारी के पास जमीनों को बेचने के अधिकार होते थे। जमीनों की अदला-बदली करना और बेचना रेलवे की सामान्य प्रक्रिया होती है, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। रेलवे ने जमीन का सौदा किया, कीमत स्वीकार की और जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद उस पर सर्व सेवा संघ को कब्जा दिलाया। इसलिए वह पूरी प्रक्रिया विधि संगत थी।”

सर्व सेवा संघ गांधी जी के विचारों पर चलने वाली संस्था है और लोकनायक जय प्रकाश तथा विनोबा की कर्मस्थली भी रहा है जो एक राष्ट्रीय धरोहर कही जा सकती है। सर्व सेवा संघ के प्रकाशनों की बिक्री के लिए रेलवे ने विगत कई दशकों से देश भर के प्रमुख स्टेशनों पर स्टाल भी उपलब्ध कराये हुए हैं। यह भी जग विदित है कि महात्मा गांधी के विचारों से असहमति रखने वाले लोगों अब लोकतांत्रिक निर्वाचन से केंद्र और उत्तरप्रदेश में सत्ता में हैं। उन्हें मतदाताओं का बहुमत प्राप्त है। मगर लोकतंत्र की खूबसूरती यह होती है कि किसी भी दल की कितने ही प्रचंड बहुमत से जीत हो, शासन सबका होता है, किसी अनुक्त समूह का नहीं होता। वह उनका भी होता है जिन्होंने उसे वोट नहीं दिया है। इसीलिए विधायिका का निर्वाचित सदस्य यह शपथ लेता है कि वह बिना किसी भेद के सबके साथ न्याय करेगा। लोकतंत्र में चुनाव में विजेता होने पर गर्व नहीं होता बल्कि सत्ता सभालने की आई जिम्मेवारी के साथ नम्रता भी आती है। अपना कदम सही होने का विश्वास होने पर भी दूसरे पक्ष को उसके नजरिए से समझने का शासन का व्यवहार लोकतंत्र में महत्वपूर्ण होता है। महात्मा गांधी के विचारों के प्रसार में लगी संस्था के साथ यह व्यवहार लोकतंत्र में विश्वास करने वालों को इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात लगता है।

गांधी विचार से जुड़ी संस्थाओं के लिए भी यह आत्मावलोकन का समय है। क्यों उनकी हैसियत इतनी गिर गई है कि प्रशासन उनके खिलाफ इस हद तक चला जाता है और देश के आम आदमी में कोई बेचैनी, कोई सुरसुराहट नहीं होती। मुख्यधारा के मीडिया के लिए भी यह कोई मुद्दा नहीं होता। कारण स्पष्ट है कि महात्मा गांधी के अहिंस और अपरिग्रह की बातें गांधी के बाद के अनुयाइयों ने खुद त्याग दी और बड़ी-बड़ी भौतिक संस्थाएं अपने पक्ष की सरकारों के भरोसे खड़ी कर ली। संस्थाओं में ऐसी संपत्तियां बनाना बापु की सेवा की भावना के हतिकूल था। जब संपत्तियां बनी तो उन पर कब्रों को लेकर लोगों में लोभ आना ही था। गांधी के नाम पर चलने वाली संस्थाओं में पदों पर जाने रहने और जमे हुएों को उखाड़ने की कैसी रस्साकसी रही है और बनी हुई है यह किसी से छुपी बात नहीं है। जहां संपत्ति होगी वहां झगड़े होंगे ही। झगड़े होंगे तो टूटन होगी। जब एकता नहीं होगी तो पिटाई होगी ही। गांधी विचार के विरोध वाली ताकतें इसलिए बलवती हुई क्योंकि गांधी के सत्य और अहिंसा के विचार को नई पीढ़ी को उधुंचाने का झण्डा लिए चलने वाले खुद के होकर यह गए और सत्ता पर आश्रित होते चले गए और उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके गांव के नीचे से जमीन कब खिसक गई है। मध्यम वर्ग की नई पीढ़ी, जिसके बूते पर भारत आज दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, उसे गांधी की या उसके विचारों की कोई जानकारी नहीं है। उल्टे उनके दिमाग में गांधी के प्रति झूठी कहानियों का विष भरा हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गांधी के अनुयाइयों ने बापू की शिक्षाओं को न अपनाए जाने वाला आदर्श मान कर किताबों में धर दिया और अपने जीवन को व्यावहारिक बना लिया।

—अतिथि संपादक, राजेन्द्र बोड़ा (वरिष्ठ पत्रकार एवं विप्लवेक)

राशिफल



बुधवार 2 अगस्त, 2023

प्र. सावन मास (अधिक), कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि, बुधवार, विक्रम संवत् 2०8०, श्रवण म्श्वर दिन 12:58 तक, आयुष्मान योग दिन 2:33 तक, बालव कर्क दिन 1०:०4 तक, चन्द्रमा रात्रि 11:26 से कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-मकर, मंगल-सिंह, बुध-सिंह, गुरू-मेष, शुक्र-सिंह, शनि-कुम्भ, राहु-मेघ, केतु-तुला राशि में।

कुमार योग दिन 12:58 तक है। राजयोग रात्रि 8:०6 से सूर्योदय तक है। आज से पंचक रात्रि 11:26 से आरम्भ होंगे। शुक्र वृद्धव सांय ६:45 से आरम्भ होगा।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से ९:14 तक, शुभ 1०:54 से 12:33 तक, चर 3:52 से 5:31 तक, लाभ 5:31 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:०० से 1:3० तक। सूर्योदय 5:55, सूर्यास्त 7:11।

शहरों पर बढ़ता भार, अति शहरीकरण



अविनाश जोशी

गांव देहात से लोग आशा एवं विश्वास की किरण लेके भारतीय महानगरों की तरफ पलायन कर रहे हैं लेकिन विकास की इस अंधी दौड़ में हर शहर की अपनी सीमाएं है। बढ़ती जनसंख्या से शहरों की व्यवस्था बिलकुल चरमपंती सी गई है। लगता है हमे विकास की इस वव्यस्था का फिर से आकलन करना पड़ेगा।

पिछले कुछ सालों से अति शहरीकरण एक जटिल एवं ज्वलंत समस्या के रूप में हमारे सामने उभरा है। हमारे ग्रामीण अंचल से पलायन करते वक्त हर युवा यह सोचता है कि उसे उन्नत रोजगार एवम उच्च जीवन शैली नसीब हो जाएगी लेकिन भारतीय शहरों की वर्तमान स्थिति उसके ख्वाबों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। यद्यिप हमारे यहां नगरीकरण अभी शैशव काल में है, इसके बावजूद हमारे नगरों की समस्याएं पश्चिमी देशों से कहीं अधिक गम्भिर है। इस समस्या का कारण तथा समाधान ढूँढना अत्यन्त आवश्यक है। वर्तमान में अति नगरीकरण विश्व के अधिकांश नगरों को निगल रहा है और हम मुकदर्शक बने उसका कठोर एवं पीड़ादायी दर्श झेलने को विवश है। यह एक विडम्बना ही है कि भारत जैसे विकासशील और जनसंख्या-बहुल देश में यदि गाँवों से शहरों की ओर जन-निष्क्रमण की गति नहीं बढ़ाई जाती तो गाँव बेरोजगार लोगों से भर जाएँगे और यदि गति बढ़ाई गईं तो नगरों का दुर्भाग्यपूर्ण विकास नहीं रोका जा सकेगा।

अत: योजनाओं के क्रियान्वयन में इस प्रकार का तालमेल बढ़ाना होगा कि सौंप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना और काम करना भी शहरीकरण है। किसी राष्ट्र की जनसंख्या का बढ़ता हुआ आकार जब शहर की तरफ निवास के लिए आकर्षित होता है एवम ग्रामीण अंचल से शहरों की तरफ पलायन करने लगता है तो उसे नगरीकरण या शहरीकरण कहते हैं। औद्योगीकरण, रोजगार के अवसर, व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण,

सामाजिक लाभ और ग्रामीण-शहरी परिवर्तन शहरीकरण के मुख्य कारण हैं। शहरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें शहरी क्षेत्र में विकास की गति बढ़ती है और लोग गाँवों से शहरों में बसते हैं। शहरीकरण के द्वारा शहरों की विकास और बढ़ती आबादी का सामर्थ्य सुनिश्चित किया जाता है। अति शहरीकरण यानी अत्यधिक शहरीकरण का मतलब है कि शहर की बढ़ती आबादी, अपार्टमेंट्स, व्यापारिक इमारतें, और सड़कों के निर्माण जैसी विकास क्रियाएं इतनी तेजी से हो रही हैं कि इसका पर्याप्त सामर्थ्य नहीं होता है और इससे जनसंख्या एवं पर्यावरण को नुकसान हो सकता है।

यह बात तो लगभग सर्वमान्य है कि जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है, उस रफ्तार से न तो रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और न ही रिहायशी क्षेत्र। ऐसे में स्वाभाविक है कि नगरों में जनसंख्या का घनत्व बढ़ेगा और अंततःतात्वा अति शहरीकरण की स्थिति उत्पन्न होगी। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन अतिनगरीकरण का सबसे बड़ा कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों से इस जनसंख्या पलायन के पीछे मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक बेरोजगारी तथा दैनिक सुविधाओं का अभाव,चूँकि ग्रामीण क्षेत्र मुख्यत: कृषि आधारित होते हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों को साल भर काम नहीं मिल पाता है, फलस्वरूप वे नगरों की ओर भागते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का यह पलायन अत्यन्त तीव्र गति से हो रहा है और अनुमान है कि आने वाले वक्त में यह संख्या बढ़ती ही जाएगी।

भारतीय शहरी संस्कृति प्राचीनकाल से ही आकर्षण का केन्द्र रही है। चूँकि नगर का स्वरूप गाँव के स्वरूप से बिल्कुल भिन्न होता है और वहाँ सुख-सुविधाओं का भी अम्बार लगा रहता है,यही एक मुख्य कारण है ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर आकर्षित होने का। यह बात अलग है कि भिन्न-भिन्न नगरों का विकास भिन्न-भिन्न कारणों से होता है, जैसे-दिल्ली, दुर्गापुर, बोकरो, राउरकेला, कुल्टी, वनपुर, भद्रवती आदि नगरों की स्थापना लोहा-इस्पात उद्योग का विस्तार था। बरौनी, नूनमाटी, अंकलेश्वर आदि नगरों का विकास तेल शोधन कार्यों के कारण हुआ।मुंबई एवम शोलापुर, अहमदाबाद, सूरत, भड़ौच, इंदौर, नागपुर आदि में सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने स्थापित हुऐ। बंगाल में हुगली में वूट उद्योग ने प्रागति की। ऐसे नगरों ने जो समुद्र किनारे स्थित थे और जहाँ बंदरगाह की सुविधा उपलब्ध थी, वहां औद्योगिक विकास ज्यादा तीव्र गति से हुआ।

यह बात तो लगभग सर्वमान्य है कि किसी भी उद्योग की स्थापना में श्रमिक शक्ति का महत्व सकोपित होता है। जब भी किसी नगर या महानगर में उद्योग स्थापित होते है तो भी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है और उनकी आपूर्ति प्राय: बाहरी क्षेत्रों से होती है और शीघ्र ही ये नगर अनियंत्रित भिड़- भाड़ व गंदे कमकों से घिर जाते हैं। वर्तमान में मुम्बई जैसे महानगरों ने फिक्म उद्योग

के विकास के कारण लाखों युवाओं को अपनी ओर खींचने में सफलता पाई है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास ले लिए यह जरूरी है कि कृषि-आधारित उद्योगों का विकास हो, जैसे कि हाल ही में कई चीनी मिलें उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में स्थापित हुई हैं। इससे तीन फायदे हुए हैं। पहला यह कि वहाँ के लोगों को अपनी फसल बेचने नहीं जाना पड़ा। दूसरा, बिचौलियों की आवश्यकता न होने के कारण वे अपनी फसलों को सीधे कारखानों में बेच सके जिससे उन्हें अधिकतम मूल्य की प्राप्ति हुई। तीसरे, उन्हें गाँव में ही रोजगार मिल गया। ग्रामीण तथा कम शहरी क्षेत्रों में जिन उद्योगों का विकास सम्भव है, उनमें चीनी उद्योग, पोल्पी उद्योग तथा वनोत्पाद आधारित उद्योग मुख्य हैं।

साथ ही कुटीर एवं लघु उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिला जाहिऐ। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण और बैंकिंग सुविधा का विस्तार भी अति आवश्यक है ताकि ग्रामीणों का व्यापार तथा उनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके। तब निश्चित रूप से नगरों के स्वरूप में परिवर्तन आएगा और बहुत हद तक अतिनगरीकरण की समस्या दूर होगी। भारत में अतिनगरीकरण की समस्या से जुड़ा रहे विभिन्न नगरों के गर्भ में ही इस समस्या का कारण छिपा है।

अतिनगरीकरण में सस्ते एवं तीव्र यातायात के साधन तथा उन्नत दूरसंचार माध्यमों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज सड़क मार्ग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का सम्पर्क महानगरों से सम्भव हुआ है, वहाँ रेलमार्गों ने सस्ते एवं तीव्र गति के यातायात साधन उपलब्ध हो गए हैं तेज गति के यातायात साधनों की उपलब्धता के कारण लोग बड़े-बड़े नगरों की ओर इन सेवाओं का प्राप्त करने के लिए भागते हैं। आज की इस गलाकट प्रतियोगिता के दौर में उद्योग अथवा व्यापारिक कार्य वहाँ केन्द्रित होते हैं जहाँ उपरोक्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं। जैसे भारत के हर बड़े नगर को लें जहाँ सेल्यूलर फोन, इंटरनेट, मोबाइल फोन, ई-मेल आदि की सुविधा उपलब्ध है जो सर्वोत्कृष्ट दूरसंचार प्रणालियाँ हैं। इस स्थिति में उद्योगपतियों तथा व्यापारियों का रुझान वहाँ होगा जहाँ उपरोक्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

भारतीय नगरों में एक आम बात देखने को मिलती है कि जितना भी उच्च संस्थान है, जैसे- शिक्षा संस्थान, अस्पताल, कार्यालय, न्यायालय आदि, वे सब नगरों या महानगरों में ही स्थित है। इन संस्थानों का महानगरों में स्थित होने का सबसे बड़ा कारण शायद यह है कि उनका सेवा क्षेत्र काफी विस्तृत है

कला तालाब गांव में आजादी के 76 साल बाद भी नहीं बनी सड़क

बच्चे बहते नाले को पार कर स्कूल जाते हैं

- बीमार को चारपाई तक सड़क पर ले जाते हैं लोग**
- कला तालाब गांव के 18 घरों में करीब 1०० की आबादी है और मुख्य सड़क से तीन किलोमीटर गांव अंदर की तरफ है।**
- ‘इस गांव में 250 से कम आबादी होगी, इसलिए सरकार की किसी भी स्क्रीम में यहां पर डामर सड़क नहीं बनने से वंचित होगी’**

पानी इस गांव से होकर आगे बहता है। जबकि इस गांव में पुलिया निर्माण और गांव तक जाने के लिए रास्ता बेहद जरूरी है मगर चुनाव के समय वाले करने वाले नेता वोट मांगने आते है उसके बाद कोई इनका हाल पूछने वाला नहीं है। रास्ता इतना खराब है कि चार पहिया वाहन यहां तक नहीं पहुंच पाता है। गांव के लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बारिश के मौसम में रहती है एक तो स्कूल जाने वाले बच्चों की चिंता और अगर बहाव तेज आया तो सभी लोग घरों में ही रहते है या पहाड़ी के ऊपर होकर समीचा गांव तक पहुंचते है। कला तालाब गांव के 1८ घरों में करीब 1०० की आबादी है और मुख्य सड़क से तीन किलोमीटर गांव अंदर की तरफ है।

कला तालाब के गणपतिसिंह ने बताया कि गांव में चुनाव के समय

हो तो उसे चारपाई पर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। इसके बाद वाहन से उसे अस्पताल ले जाने की एक सबसे बड़ी चुनौती है।

विधायक कुंभलगढ़ सुरेंद्रसिंह राठौड का कहना है कि ये रास्ता तालाब की पाल के पास होकर गुजरता है। पूर्व में यहां पर सड़क बनवाई थी, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां पर वर्ष पर्यंत पानी बहता रहता है। जिसके कारण यहां पर डामर की सड़क काटिकना संभव नहीं हो रहा है। मामला मेरे संज्ञान में है, पूरी सीसी रोड बनवानी होगी जिसके लिएबड़े बजट की आवश्यक है। मैंने डीएनएफटी के प्रस्ताव में ये सड़क ले रखी है। जल्द ही स्वीकृति आने पर सड़क निर्माण कार्य शुरू करवाकर वहां के ग्रामीणों को राहत दी जाएगी।

मानोनराम रेगर, अधिशाषी अभियंता, पीडब्ल्यूटी विभाग आमेठ-कुंभलगढ़ का कहना है कि इस गांव में 25० से कम आबादी होगी, इसलिए सरकार की किसी भी स्क्रीम में यहां पर डामर सड़क नहीं बनने से वंचित होगी।विभाग की ओर से अब 1०० तक की आबादी को सड़क से जोड़ने की योजना में प्रस्ताव बनाकर भेजे है।स्वीकृति आने के बाद वहां पर सड़क बना दी जाएगी।

मूलभूत सुविधाओं से वंचित धनावत फलावासी

उदयपुर, (कांस)। आजादी के पिचहत्तर वर्ष बाद भी जिले के लसाडिया थाना क्षेत्र के धोलीया ग्रामवासी भी पार कर स्कूल, शमशन एवं चिकित्सालय जाने के लिए मजबूर हैं।

उल्लेखनीय है कि जिले के लसाडिया तहसील स्थित धोलिया गांव धनावतफला क्षेत्र के लोग देश की आजादी के बाद से आज दिन तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहां के ग्राम में करीब 4० घरों की आबादी मे 1००-125 लोग निवास करते है। ये लोग धोलिया में बहने वाली नदी के दूसरे छोर पर रहते है। इनके बच्चे राजकीय प्राथमिक विद्यालय बोरीवेरी में पढ़ने जाते है। वर्षाकाल के समय में नदी में बहने वाले पानी के चलते सिर पर किताबों को रख कर पढ़ने जाना इन मासूसभावी कर्मधारों की मजबूरी सी बन गई है जिससे कभी बड़े हादसे को न्यौता देने जैसा है। यहीं नहीं यहां के लोगों का शमसान भी नदी के दूसरे छोर पर स्थित है। जिन्हें वर्षाकाल के दौरान किसी परिवारजन की मृत्यु होने पर अर्थी को दूसरे छोर तक ले जाना दुभर हो जाता है। अगर नदी का तेज बहाव होने पर ग्रामवासियों को बहाव कम होने का इंतजार करना पड़ता है। इसी तरह गर्भवती महिलाएं बीमारी एवं सामाजिक कार्य में भी इस नदी को पार कर दूसरे छोर तक जाना ग्रामीणों की मजबूरी सा बन गया है। सड़क, पुलिया स्वीकृत करने की मांग करते हुए क्षेत्रवासियों ने मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, जिला कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी को गुहार लगाई है।

व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

अस्त-व्यस्त हो सकती है। घर-गृहस्थ के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

रखना ठीक रहेगा। संभावित ख़ोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य विगड़ सकते हैं। नवीन कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं।

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य विगड़ सकते हैं। नवीन कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं।

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य विगड़ सकते हैं। नवीन कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं।

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य विगड़ सकते हैं। नवीन कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं।

घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।

अस्त-व्यस्त हो सकती है। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।

अस्त-व्यस्त हो सकती है। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।

अस्त-व्यस्त हो सकती है। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेगे।

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेगे।

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेगे।

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेगे।